


358



## माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. II / मुरैना / नि / भू-रा / 2017 / 4453

1 मनीष जैन पुत्र श्री धन्नालाल जैन  
आयु-35 वर्ष

2 ओमप्रकाश पुत्र श्री धन्नालाल जैन  
आयु-32 वर्ष

निवासी वार्ड क0 1 एडवोकेट कालोनी  
अम्बाह मुरैना

.....निगरानीकर्ता / अपीलार्थी

**विरुद्ध**

प्रदीप उर्फ बल्लो शर्मा पुत्र श्री  
रामदास निवासी ग्राम डण्डोली  
तहसील अम्बाह जिला मुरैना

.....रेस्पोंडेंट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश  
प्र0 क्र0 96/2016-17 अपील माल दिनांकी 17/10/2017 जिसका  
आर.सी.एम. 5 पोर्टल रजिस्ट्रेशन क0 116/16-17 अपील माल  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना

श्रीमान महोदय,


निगरानीकर्ता / अपीलार्थी की ओर से निगरानी निम्न अनुसार प्रस्तुत है-

प्रकरण के तथ्य-

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/4453

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-12-18 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	